

कारोबार दायित्व रिपोर्ट

क्र.सं.	विवरण	ब्योरे
अ. बैंक के बारे में सामान्य जानकारी		
1	कंपनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L65190MH2004GOI148838
2	कंपनी का नाम	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
3	पंजीकृत पता	आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005
4	वेबसाइट	www.idbi.com
5	ई-मेल आईडी	idbiequity@idbi.co.in
6	रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	2015-16
7	क्षेत्र, जिनमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक कार्यकलाप कोड-वार)	कोड: 64191- आईडीबीआई बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित एक बैंकिंग कंपनी है.
8	तीन प्रमुख उत्पादों / सेवाओं का उल्लेख करें जिनका कंपनी निर्माण करती है/ जिन्हें प्रदान करती है (तुलनपत्र के अनुसार)	1. कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग 2. खुदरा बैंकिंग 3. ट्रेजरी सेवाएं
9	लोकेशनों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा कार्यकलाप के जाते हैं.	1,846 शाखाएं
i.	अंतर्राष्ट्रीय लोकेशनों की संख्या (प्रमुख 5 का ब्योरा दें)	1- डीआईएफसी, दुबई में बैंक की एक शाखा है.
ii.	राष्ट्रीय लोकेशनों की संख्या	1,845 शाखाएं
10	बाजार, जहां कंपनी अपनी सेवाएं देती है. (स्थानीय/ राज्य स्तरीय/ राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय)	बैंक राष्ट्रीय लोकेशनों पर ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है. बैंक की अंतर्राष्ट्रीय शाखा द्वारा भी ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं.
आ. बैंक का वित्तीय विवरण		
1	प्रदत्त पूंजी (₹ लाख में)	2,05,881.51
2	कुल कारोबार (₹ लाख में)	31,45,345.87
3	कर पश्चात् कुल लाभ (₹ लाख में)	-3,66,480.25
4	कर पश्चात् लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर कुल व्यय	वित्तीय वर्ष 2015-16 में आईडीबीआई बैंक ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों पर वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2015 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के अपने औसत निवल लाभ का 1.31% व्यय किया (भारत के बाहर स्थित शाखाओं से हुए लाभ तथा भारत में अन्य कंपनियों से प्राप्त लाभांश को छोड़कर, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल हैं और उसके अनुपालन में हैं).
5	उन कार्यकलापों की सूची जिनमें उपर्युक्त बिन्दु 4 के अंतर्गत व्यय किया गया है :-	
क्र.सं.	कार्यकलाप	सीएसआर परियोजनाओं की सं.
क.	स्वास्थ्य	6
ख.	ग्रामीण विकास	3
ग.	शिक्षा	4
घ.	सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण	2
ड.	पर्यावरण	3
च.	अन्य दान	2
कुल		20
		₹ लाख
		944.45

कंपनी अधिनियम, 2013 में दिए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुरूप, आईडीबीआई बैंक अपने अधिकांश कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों को परियोजना/ कार्यक्रम के रूप में करता रहा है. कार्यक्रमों के चरणबद्ध कार्यान्वयन के फलस्वरूप कुछ मामलों में परवर्ती वर्षों में वास्तविक व्यय अधिक हो जाता है. इसके अतिरिक्त, कुछ कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं के मामले में (i) परियोजना के लिए सरकारी निधीयन, (ii) परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब, (iii) दस्तावेजों की प्रस्तुति में विलंब, और (iv) मंजूर राशि की तुलना में कम राशि में परियोजना पूरा करने जैसे विभिन्न कारकों के कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुछ अपेक्षित संवितरण जारी नहीं किए जा सके. साथ ही, रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान मार्च 2016 में दो मंजूर परियोजनाओं को संवितरण नहीं किया जा सका है.

ऊपर उल्लिखित कारणों से, बैंक ₹ 9.44 करोड़ व्यय कर पाया है जो व्यय के लिए निर्धारित ₹ 14.41 करोड़ के बजट का लगभग 65.51% है.

2015-16 के दौरान सीएसआर के अंतर्गत किए गए व्यय का क्षेत्र-वार वर्गीकरण:

i. स्वास्थ्य

क्र. सं.	कार्यकलाप/ संगठन का नाम	प्रयोजन	राशि (₹ लाख)
1	शंकर नेत्रालय, चेन्नई, तमिलनाडु	चेन्नई, तमिलनाडु में गरीबों के लिए मोतियाबिंद सर्जरी का आयोजन.	3.13
2	यूनिसेफ, नई दिल्ली	महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश के चुने हुए 400 ग्रामीण स्कूलों में जल, सफाई प्रबंध तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना.	130.68
3	स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान तथा स्वच्छ भारत कोष (एसबीके)	देशभर में आईडीबीआई बैंक की शाखाओं के नजदीक ग्रामीण विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण तथा एसबीके में अंशदान.	171.44
4	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुंबई, महाराष्ट्र	मुंबई, महाराष्ट्र में दवा प्रतिरोधी टीबी मरीजों को पौषणिक सहायता का प्रावधान.	47.16
5	ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन, पटना, बिहार	पटना, बिहार में एक एंबुलेंस वैन की खरीद.	4.35
6	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	औरंगाबाद, महाराष्ट्र में बहुदेशीय उपयोग के लिए वैन की खरीद.	3.40
कुल			360.16

ii. ग्रामीण विकास

क्र. सं.	कार्यकलाप/ संगठन का नाम	प्रयोजन	राशि (₹ लाख)
1	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, मुंबई, महाराष्ट्र	लेह, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर में अन्य कार्यकलापों के साथ, सामुदायिक तंत्र को मजबूत करते हुए तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी तथा स्वामित्व मॉडल के आधार पर तारुगाँव को एक 'आदर्श ग्राम' के रूप में तैयार करना.	26.16
2	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि (आरजीवीएन), गुवाहाटी, असम	मोरीगांव जिला, असम में आमकोटा गाँव का आदर्श ग्राम के रूप में विकास.	10.58
3	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	दो गांवों में सीएसआर कार्यकलापों का संचालन - वाराणसी जिले में सुजाबाद तथा चंदौली जिले में भभौरा.	200.00
कुल			236.74

iii. शिक्षा

क्र. सं.	कार्यकलाप/ संगठन का नाम	प्रयोजन	राशि (₹ लाख)
1	एआईएम फॉर सेवा, चेन्नई, तमिलनाडु	लखनऊ, उत्तर प्रदेश में भोजन, आवास, कपड़े, पुस्तकें आदि पर व्ययों हेतु छात्रावास सहायता.	3.15
2	साई आनंदम ट्रस्ट, भुवनेश्वर, ओड़ीशा	दारुथेगा, ओड़ीशा में ग्रामीण युवा प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण.	6.88
3	उरिवी विक्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र	ठाणे, कल्याण और भिवंडी, महाराष्ट्र में आजीविका और व्यावसायिक दक्षता प्रशिक्षण प्रदान करना.	7.50
4	भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात	सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत वड़ोदरा, गुजरात में करनाली पंचायत के चार गांवों में कौशल विकास कार्यक्रम का संचालन.	9.95
कुल			27.48

iv. सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण

क्र. सं.	कार्यकलाप/ संगठन का नाम	प्रयोजन	राशि (₹ लाख)
1	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम, गुवाहाटी, असम	नामची, सिक्किम में डिजाइनर मोमबत्तियों तथा अन्य स्थानीय हस्तशिल्पों के विपणन के लिए एक शोरूम स्थापित करना तथा प्रारम्भिक अवधि के लिए इसकी परिचालन लागत सहायता.	4.80
2	नेशनल एसोसिएशन ऑफ डिसेबल्ड एंटरप्राइजेज, मुंबई, महाराष्ट्र	अशक्त व्यक्तियों के लिए दीर्घकालिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से उनके 'कागज के लिफाफे बनाने की परियोजना' के पूंजी व्ययों को पूरा करना.	2.38
कुल			7.18

v. पर्यावरण

क्र. सं.	कार्यकलाप/ संगठन का नाम	प्रयोजन	राशि (₹ लाख)
1	सेंटर ऑफ एक्सेलेस फॉर चेंज, चेन्नई, तमिलनाडु	कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु के चुनिंदा गांवों में क्लाइमेट स्मार्ट वॉटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन.	7.13
2	इन्टरनेशनल एकेडमी ऑफ एनवायरॉनमेंटल हेल्थ एंड पब्लिक सैनिटेशन, नई दिल्ली	इसाबेला थोबुर्न कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में वर्षा-जल संग्रहण परियोजना के लिए सहायता.	3.85
3	द एनर्जी एंड रिसॉर्स इंस्टीट्यूट, (टीईआरआई), नई दिल्ली	'लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स' कार्यक्रम को सहायता जिसका उद्देश्य चार राज्यों के चुनिंदा गांवों में 5000 घरों में सोलर लाइटिंग सिस्टम प्रदान करना है.	176.91
कुल			187.89

vi. अन्य

क्र. सं.	कार्यकलाप/ संगठन का नाम	प्रयोजन	राशि (₹ लाख)
1	सशस्त्र सैन्य-बल फ्लैग दिवस निधि	भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं तथा उनके आश्रितों के कल्याण तथा पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा गठित सशस्त्र बल फ्लैग दिवस निधि में अंशदान.	25.00
2	मुख्यमंत्री सार्वजनिक राहत कोष, (सीएमपीआरएफ), तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य में विनाशकारी बाढ़ को देखते हुए सीएमपीआरएफ में अंशदान.	100.00
कुल			125.00

इ. अन्य विवरण

1	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/ कंपनियाँ हैं?	हाँ. बैंक की पाँच देशी सहायक संस्थाएँ हैं अर्थात् आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेस लि., आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ़ ट्रस्टी कंपनी लि., आईडीबीआई इंटेक लि. तथा आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि..
2	क्या सहायक कंपनी/ कंपनियाँ मूल कंपनी के कारोबार दायित्व पहल-कार्यों में भागीदारी करती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी(यों) की संख्या सूचित करें.	नहीं
3	क्या अन्य कोई संस्था/ संस्थाएँ (अर्थात् आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) हैं जिनके साथ कंपनी अपने कारोबार दायित्व पहल-कार्यों में भागीदारी करती है? यदि हाँ, तो उस संस्था/ उन संस्थाओं के प्रतिशत की सूचना दें? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक].	नहीं

ई. कारोबार दायित्व संबंधी जानकारी

1 कारोबार दायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/ निदेशकों के ब्योरे

क. कारोबार दायित्व नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/ निदेशकों के ब्योरे	
डीआईएन संख्या	लागू नहीं
नाम	श्री विनय कुमार
पदनाम	कार्यपालक निदेशक
ख. कारोबार दायित्व प्रमुख के ब्योरे	
डीआईएन संख्या	लागू नहीं
नाम	श्रीमती रंजना परांजपे
पदनाम	मुख्य महाप्रबंधक, कॉरपोरेट रणनीति एवं संवाद विभाग.
टेलिफोन नं.	022- 66552249
ई-मेल आईडी	rv.paranjape@idbi.co.in

2 सिद्धान्त-वार (एनवीजी के अनुसार) कारोबार दायित्व नीति/ नीतियां (हाँ/ नहीं में उत्तर दें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास के लिए नीति/ नीतियाँ हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
2.	क्या यह नीति संबंधित अंशधारकों के परामर्श से बनाई गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
3.	क्या नीति राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो उल्लेख करें? (50 शब्दों में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
4.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हाँ, तो क्या इस पर एमडी/ स्वामी/ सीईओ/ उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
5.	क्या कंपनी में नीति के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए बोर्ड/ निदेशक/ अधिकारी की विनिर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक का उल्लेख करें.	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ*	हाँ#
7.	क्या नीति के बारे में सभी संबंधित आंतरिक तथा बाह्य अंशधारकों को औपचारिक रूप से सूचना दी गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
8.	क्या नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के पास आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
9.	क्या कंपनी के पास नीति/ नीतियों से संबंधित, अंशधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीति/ नीतियों के संबंध में शिकायत निवारण तंत्र है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
10.	क्या कंपनी ने इस नीति के बारे में कार्यों का आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा स्वतंत्र लेखापरीक्षण/ मूल्यांकन कराया है?	नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभाग प्रमुख उत्तरदायी हैं. अनुपालन विभाग रिजर्व बैंक द्वारा अधिदेशित नीतियों के कार्यान्वयन के अनुपालन की निगरानी करता है.								

नोट:

* सीएसआर नीति लिंक - <http://www.idbi.com/CSR-Policy.asp>

बैंक की नीतियाँ अर्थात् ग्राहक अधिकार नीति, शिकायत निवारण नीति, नागरिक चार्टर तथा बीसीएसबीआई कोड जनता की जानकारी के लिए ग्राहकों की जानकारी के लिंक पर उपलब्ध हैं: <http://www.idbi.com/customer-care-centre.asp>

सिद्धान्त 1 - बैंक मुख्यतः केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सतर्कता मैनुअल में दिए गए सीवीसी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है.

सिद्धान्त 2 - सिद्धान्त 2 के अंतर्गत अधिकतर कार्यकलाप बैंक की ऋण नीति तथा उत्पाद दिशानिर्देशों द्वारा संचालित हैं जो गोपनीय हैं.

बैंक की विभिन्न नीतियाँ, जो विधिवत् रूप से तैयार की गई हैं, बैंक के विभिन्न कार्यों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संचालित करती हैं. ये विनियामक तथा सांविधिक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं.

2क. यदि किसी भी सिद्धान्त के संबंध में क्र.सं. 1 का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया कारण स्पष्ट करें: (2 विकल्पों तक सही का निशान लगाएं)

(किसी भी सिद्धान्त के लिए नीति न होने के कारणों का उल्लेख किया जाए)

1.	कंपनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है.	पी7 के लिए नीति नहीं होने का कारण:
2.	कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं है जिसमें यह स्वयं को विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों पर नीतियाँ बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने की स्थिति में हो.	बैंक में पी7 के संबंध में कोई दस्तावेजीकृत नीति नहीं है, तथापि, यह हमेशा विनियामकों तथा नीति निर्माताओं के साथ जिम्मेवार रूप से संबद्ध रहा है. बैंक, विकास वित्तपोषण के क्षेत्र में अग्रणी रहा है तथा इसने भारत के वित्तीय ढांचे की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई है. इसके अलावा, बैंक बैंकिंग सुधारों, वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में सुधारों के लिए नीति निर्माताओं से संबद्ध रहा है.
3.	कंपनी के पास कार्य को पूरा करने के लिए वित्तीय या जनशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं.	
4.	यह कार्य अगले 6 माह के भीतर करने की योजना है.	
5.	यह कार्य अगले 1 वर्ष के भीतर करने की योजना है.	
6.	अन्य कोई कारण (कृपया स्पष्ट करें)	

3 कारोबार दायित्व संबंधी अभिशासन

कंपनी के निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कंपनी के कारोबार दायित्व कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन की बारंबारता का उल्लेख करें. 3 माह के भीतर, 3-6 माह, वार्षिक रूप से, 1 वर्ष से अधिक.	बैंक का कारोबार दायित्व कार्य-निष्पादन बोर्ड के समक्ष वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा.
क्या कंपनी कारोबार दायित्व या निरंतरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसे कितने अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है?	हाँ. कारोबार दायित्व रिपोर्ट को www.idbi.com पर देखा जा सकता है. यह रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाएगी तथा बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग होगी.

उ. सिद्धान्त-वार कार्य-निष्पादन

1. सिद्धान्त 1 : कारोबार का संचालन और प्रबंधन अपने आप में आचार नीति, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ होना चाहिए

1. क्या आचार नीति, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है ? हाँ/नहीं.
- हाँ, यह केवल बैंक पर लागू है। बैंक के पास भ्रष्टाचार, अनाचार, गबन और निधियों के दुर्विनियोजन की जांच के लिए प्रभावी व्यवस्था है। बैंक ने सतर्कता संबंधी मामलों के निपटान के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप आंतरिक दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं तैयार की हैं। सभी कर्मचारियों के लाभ के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा सामान्य रूप से सतर्कता मामलों से संबंधित अथवा विशिष्ट रूप से बैंकों के लिए जारी अद्यतन परिपत्र/ दिशानिर्देश बैंक के इंटरनेट पर रखे गए हैं। साथ ही, इन दिशानिर्देशों को बैंक के लिए सतर्कता मैनुअल के रूप में समेकित किया गया है तथा इसे वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है।
- बैंक में निवारक सतर्कता को मजबूत करने के लिए सतर्कता विभाग हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है जिसमें मुख्यतः निवारक सतर्कता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अपनाई जानेवाली गतिविधियों का विस्तार से वर्णन रहता है। ऐसे उपायों का सारांश निम्नानुसार है:
- **अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली आस्तियों और देयताओं की वार्षिक विवरणियां (एआरएएल):**
 - (क) आस्तियों और देयताओं की वार्षिक विवरणी की ऑनलाइन प्रस्तुति अनिवार्य कर दी गई है।
 - (ख) बैंक के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आस्तियों और देयताओं की वार्षिक विवरणियों की नमूना जांच करना जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार में आनेवाले सभी अधिकारियों, अर्थात् महाप्रबंधक (ग्रेड ई) और उनसे उच्चतर अधिकारियों तथा आस्तियों और देयताओं की शेष वार्षिक विवरणियों की 10% विवरणियां शामिल हैं।
 - **संदिग्ध अधिकारियों की सहमत सूची (एएलएसओ):** केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श से उन अधिकारियों के बारे में वार्षिक आधार पर एक सहमत सूची तैयार की जाती है जिनकी ईमानदारी या सत्यनिष्ठा को लेकर उनके विरुद्ध शिकायतें, संदेह या शंकाएं हैं।
 - **संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची:** केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची वार्षिक रूप से तैयार/समीक्षा की जाती है।
 - **संवेदनशील पदों की पहचान और स्टाफ का आवर्तन:** संवेदनशील पदों की पहचान वार्षिक आधार पर की जाती है तथा इस संबंध में बैंक के विभिन्न वर्टिकलों से मासिक/ तिमाही फीडबैक लेकर बैंक द्वारा ऐसे पदों के बारे में कार्य आवर्तन नीति को लागू किया जाता है।
 - **बैंक में संवेदनशील पदों पर स्टाफ आवर्तन की निगरानी की जाती है तथा मासिक / तिमाही रिपोर्ट में इसकी सूचना केंद्रीय सतर्कता आयोग को दी जाती है:** मानव संसाधन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि संदिग्ध अधिकारियों की सहमत सूची (एएलएसओ)/ संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची (एलओडीआई) में शामिल अधिकारियों को संवेदनशील कार्यभार न सौंपे जाएं। इसकी निगरानी सतर्कता विभाग द्वारा की जाती है।

- प्रौद्योगिकी का उपयोग करना:**
 प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सतर्कता प्रशासन में सुधार के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवेदन फॉर्म/प्रपत्र डाउनलोड योग्य फॉर्मेट में बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं. संलग्न किए जाने वाले सभी दस्तावेजों और दी जानेवाली सूचनाओं की जानकारी वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से दी गई है तथा यह आवेदन फॉर्म का हिस्सा भी है. सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एक समान कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए रूप में मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसजीजीआरएस) को सक्रिय किया गया है. प्रत्येक माह दी गई निविदाओं/ संविदाओं को बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है. सुरक्षा में कर्मियों को दूर करने के लिए फिनेकल प्रणाली में लगातार सुधार किया जाता है. धोखाधड़ियों को नियंत्रित/ रोकने के लिए धोखाधड़ी निगरानी प्रणाली को एक साधन के रूप में लागू किया गया है.
- सीटीई प्रकार के निरीक्षण:**
 सतर्कता विभाग, वेंडर को भुगतान, निविदा या संविदा आदि प्रदान करने जैसी मौजूदा प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाने/ सुदृढ़ करने के लिए प्रदान की गई संविदाओं का यादृच्छिक आधार पर अध्ययन तथा समीक्षा करता है. ऐसी जांच का उद्देश्य केवल अनाचार का पता लगाना और उल्लंघन करने वाले अधिकारी को सतर्कता के दृष्टिकोण से दंडित करना भर नहीं है, बल्कि बैंक की प्रणालियों/ प्रक्रियाओं में सुधार में मदद करना भी है ताकि बेहतर तकनीकी और वित्तीय नियंत्रण के साथ-साथ भावी संविदाओं में चूकों/ अनियमितताओं से बचा जा सके.
 पहली बार बनने वाले अनर्जक आस्ति खातों (एफटीएनपीए), अतिशीघ्र एनपीए बनने वाले मामलों (क्यूएम), एकबारीय निपटान मामलों (ओटीएस)/ बातचीत (एनएस) से तय मामलों की जांच की जाती है.
 चौकसी और पता लगाना सतर्कता विभाग के कार्यों में एक कार्य है और इस कारण एफटीएनपीए, क्यूएम, ओटीएस/ एनएस मामलों की जांच यादृच्छिक आधार पर की जाती है. इन मामलों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि विवेकाधीन अधिकारों का उपयोग मनमाने तरीके से न किया जाए, बल्कि इनका उपयोग उचित और पारदर्शी तरीके से किया जाए तथा बैंक में प्रणाली और प्रक्रियाओं की तुलना में वर्तमान कार्यप्रणालियों की जांच उन कारकों को हटाने या कम करने के उद्देश्य से करते हुए की जाए जो भ्रष्टाचार और अनाचार के लिए मौका प्रदान करती हैं, साथ ही यह पता लगाने के लिए कि स्टाफ जवाबदेही मौजूद है या नहीं.
- आकस्मिक सतर्कता दौरा :**
 सामान्य कार्यकाल में तथा धोखाधड़ी/ दुरुपयोग की घटना को रोकने के प्रति जागरूकता लाने के लिए वार्षिक कार्य योजना के अनुसार सतर्कता अधिकारियों द्वारा चुनिंदा शाखाओं का आकस्मिक सतर्कता दौरा किया जाता है.

क्या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/काट्रैक्टरों/ एनजीओ/ अन्य पर लागू होता है?

- **निवारक सतर्कता समितियां (पीवीसी)/ अंचल निवारक सतर्कता समितियां (जेडपीवीसी):**
बैंक का सतर्कता विभाग सुनिश्चित करता है कि सतर्कता से संबंधित विषयों/मामलों को निपटाने और उन पर विचार-विमर्श के लिए अंचल निवारक सतर्कता समितियों की बैठक सभी नौ अंचलों में तिमाही में एक बार की जाए. इससे सतर्कता को लेकर जारी किए गए अद्यतन दिशानिर्देशों पर चर्चा के अलावा उनकी शाखाओं/ प्रोसेसिंग केन्द्रों में उन कमजोर बिन्दुओं/ क्षेत्रों की पहचान में मदद मिलती है जो धोखाधड़ी/ अनाचार की दृष्टि से असुरक्षित हैं, ताकी कमजोर क्षेत्रों में निगरानी को कड़ा किया जा सके. इन बैठकों में नामिती प्रतिनिधि के रूप में सतर्कता विभाग के अधिकारी उपस्थित रहते हैं.
- **सतर्कता जागरूकता कार्यशालाएं :**
पूरे बैंक में सतर्कता जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं जिनमें बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) उपस्थित रहते हैं. इन कार्यशालाओं में इस बात पर जोर दिया जाता है कि निवारक सतर्कता एक सक्रिय कार्य है जिसमें बैंक में, विशेष कर, धोखाधड़ी, अनाचार, दुरुपयोग और भ्रष्टाचार रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, साथ ही बैंक को किसी प्रकार की वित्तीय या प्रतिष्ठागत हानि से बचाया जा सके और सामान्य रूप में संगठन को मजबूत किया जा सके.
- **बैंक में सतर्कता कार्यकलापों की समीक्षा:**
 - सभी मामलों में समग्र प्रगति की निगरानी करना तथा एमडी एवं सीईओ के साथ तिमाही आधार पर संरचित बैठक का आयोजन करना तथा ऐसी संरचित बैठकों में उभरने वाले कार्य बिन्दुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई करना.
 - बैंक में सतर्कता कार्यकलापों की समीक्षा से संबंधित मामलों पर तिमाही आधार पर निदेशक मंडल को जापन प्रस्तुत करना.
- **त्वरित दंडात्मक कार्रवाई:**
मुख्य सतर्कता अधिकारी अपचारी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की निगरानी करते हैं.
- **सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन:**
केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक आधार पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है. स्टाफ सदस्यों/ जनता/ ग्राहकों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए शाखाओं/ कार्यालयों में सप्ताह के दौरान सेमिनार, बैठकें, प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की जाती हैं.
- **सतर्कता संबंधी शिकायतें**
मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से प्राप्त शिकायतों की जांच सुनिश्चित करते हैं और जहां जरूरी हो वहाँ उचित कार्रवाई करते हैं.
नहीं, यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ काट्रैक्टरों/ एनजीओ/ अन्य पर लागू नहीं होता है.

<p>2. पिछले वित्तीय वर्ष में अंशधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक रूप से समाधान किया गया है? यदि ऐसा है तो करीब 50 शब्दों में उनके ब्योरे दें.</p>	<p>वर्ष 2015-16 के दौरान 49,444 ग्राहक शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 31 मार्च 2016 तक लगभग 98%, अर्थात् 48,812 शिकायतों का निवारण किया जा चुका था. 31 मार्च 2016 तक निवारण किए गए सामान्य बैंकिंग शिकायतों का औसत कार्यवाही समय लगभग 2 कार्यदिवस था. बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित शिकायत निवारण नीति तैयार की है जिसमें बेंचमार्क समयसीमा 19 दिन निर्धारित है, जबकि अनुमत समयसीमा 21 दिन है. यह शिकायतों के निवारण के प्रति बैंक के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को दर्शाती है.</p> <p>वर्ष 2015-16 के दौरान सतर्कता विभाग को 111 शिकायतें प्राप्त हुईं. इन सभी शिकायतों की जांच/छानबीन विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता की दृष्टि से की गई.</p> <p>शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों का ब्योरा निम्नानुसार है :</p> <table border="1" data-bbox="821 725 1461 899"> <thead> <tr> <th>यथा दिनांक 01.04.15 को लंबित</th> <th>2015-16 के दौरान प्राप्त</th> <th>2015-16 के दौरान निवारण</th> <th>यथा दिनांक 31.03.16 लंबित</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1,212</td> <td>1,212</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	यथा दिनांक 01.04.15 को लंबित	2015-16 के दौरान प्राप्त	2015-16 के दौरान निवारण	यथा दिनांक 31.03.16 लंबित	0	1,212	1,212	0
यथा दिनांक 01.04.15 को लंबित	2015-16 के दौरान प्राप्त	2015-16 के दौरान निवारण	यथा दिनांक 31.03.16 लंबित						
0	1,212	1,212	0						

2. सिद्धान्त 2 : कारोबार द्वारा ऐसे उत्पाद और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने सम्पूर्ण जीवन चक्र के दौरान दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद हों

<p>1. 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची जिनको तैयार करने में सामाजिक या पर्यावरण सरोकार, जोखिम और/या अवसरों का ध्यान रखा गया है.</p>	<p>i. बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए): बेसिक बचत बैंक जमा खाता (पहले नो फ्रिल खाता के नाम से जाना जाता था), जिसके लिए शेष राशि रखने की आवश्यकता नहीं है, में अब तक बैंकिंग से वंचित और गरीब लोगों के वित्तीय वंचन के सामाजिक सरोकार का व्यापक रूप से ध्यान रखा गया है.</p> <p>ii. व्यक्तियों/ संयुक्त ऋणदाताओं के समूह (जेएलजी)/ स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए ऋण: बैंक ने उन सुविधाहीन उधारकर्ताओं तक अपनी पहुँच बनाई है जिनके पास संपार्श्विक प्रतिभूति, नियमित रोजगार और स्पष्ट ऋण रिकॉर्ड नहीं है. बैंक का सूक्ष्म ऋण पर जोर केवल उद्यमिता को सहायता और गरीबी उन्मूलन के लिए ही नहीं, बल्कि यह महिलाओं के सशक्तीकरण तथा लघु एवं सीमांत किसानों, कारीगरों, भूमिहीन श्रमिकों आदि सहित समुदायों के उत्थान के लिए भी तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य उनके व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य घरेलू खर्चों, उच्च लागत वाले कर्जों की चुकौती आदि के लिए निधीयन आवश्यकताओं को पूरा करना है. बैंक द्वारा नियुक्त कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुगमकर्ता (बीएफ) के माध्यम से भी सूक्ष्म ऋण प्रदान किए जाते हैं. 31 मार्च 2016 तक बैंक ने 66 करपोरेट और 1884 व्यक्तियों को बीसी/ बीएफ के रूप में नियुक्त किया. बैंक ने भारतीय माइक्रो क्रेडिट (बैंक का बीसी) के सहयोग से 18 सितंबर 2015 को वाराणसी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हुए तथा उन्होंने इस उत्पाद के अंतर्गत उधारकर्ताओं को मंजूरी पत्र तथा ई-रिक्शा वितरित किए. इससे उधारकर्ताओं की अधिक आय तो सुनिश्चित हुई, साथ ही पारिस्थितिकी की सुरक्षा के साथ-साथ पूर्ववर्ती सायकल रिक्शाचालकों द्वारा उठाए जा रहे शारीरिक कष्ट भी कम हुए.</p>
---	---

- iii. **आईडीबीआई सूर्य शक्ति:** इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन के लिए परिवारों, कृषि क्षेत्र तथा अन्य स्थापनाओं में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना है। इस उत्पाद को गाँवों/ अर्ध शहरी/ शहरी क्षेत्रों में व्यक्तियों, किसानों, एसएचजी, होटलों और अस्पतालों के लिए सोलर वॉटर हीटर, सोलर लाइटिंग सिस्टम और सोलर पंप खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। लाभार्थी 1800, 2200, 3000 और 5000 वाट पीक डी सी सरफेस सिस्टम के लिए सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम [(फ्लैट प्लेट कलेक्टर (एफपीसी) आधारित या इवैकुपेटेड ट्यूबुलर कलेक्टर (ईटीसी) आधारित], विभिन्न फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स वाले सोलर लाइटिंग सिस्टम और सोलर फोटोवोल्टिक लगाने का चुनाव कर सकते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से यह उत्पाद बिजली रहित या बिजली की कटौती वाले इलाकों में बिजली प्रदान करता है।
- iv. **आईडीबीआई आरएसईटीआई:** आईडीबीआई बैंक द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। संस्थान अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देता है ताकि वे स्व-रोजगार के लिए कोई काम शुरू कर सकें। संस्थान गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और समाज के कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देता है। 2011 में अपनी शुल्कात से संस्थान ने 2,914 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जिनमें 793 उम्मीदवारों को वर्ष 2015-16 में प्रशिक्षित किया गया। ये उम्मीदवार अब कई लाभदायक कामों में लगे हुए हैं। प्रशिक्षित उम्मीदवारों में अजा और अजजा प्रत्येक श्रेणी में 11%, अपिव में 21% तथा अल्प संख्यक श्रेणी में 9% हैं। संस्थान अपने उम्मीदवारों की बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने में सहायता करता है।
- v. **“ग्रीन परियोजनाओं”** का निधीयन जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा (पवन, सौर, जैव ईंधन, जल विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा वितरण और प्रबंधन योजनाएँ आदि), ऊर्जा दक्षता (ऊर्जा संग्रहण इकाइयाँ, ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी और उपकरण आदि) और टिकाऊ परियोजनाएँ (जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन परियोजनाएँ, भूमि उपयोग परियोजनाएँ आदि) शामिल हैं। इस प्रयोजन के लिए बैंक ने यूएस डॉलर 5 बिलियन एमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत नवंबर 2015 में 5 वर्ष के लिए ग्रीन बांड शुरू किये जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में यूएस डॉलर 350 मिलियन राशि के लिए सूचीबद्ध हैं।

<p>2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रति इकाई संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित ब्योरे उपलब्ध कराएं (वैकल्पिक):</p> <p>i. समूची मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से अब तक सोर्सिंग/ उत्पादन/ वितरण के दौरान कमी?</p> <p>ii. पिछले वर्ष से अब तक ग्राहकों द्वारा उपयोग (ऊर्जा, पानी) के दौरान पाई गई कमी?</p>	<p>लागू नहीं</p>
<p>3. क्या कंपनी के पास संवहनीय सोर्सिंग के लिए तैयार प्रक्रिया है (परिवहन सहित)?</p> <p>i. यदि हाँ, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत संवहनीय रूप में सोर्स किया गया? साथ ही, लगभग 50 शब्दों में उनके ब्योरे प्रदान करें.</p>	<p>लागू नहीं</p>
<p>4. क्या कंपनी ने अपने कार्य-स्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से उत्पाद और सेवाएं प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं?</p> <p>यदि हाँ, तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और योग्यता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?</p>	<p>लागू नहीं</p>
<p>5. क्या कंपनी के पास उत्पादों और अपशिष्टों की रिसाइक्लिंग के लिए कोई प्रक्रिया है? यदि हाँ, तो उत्पादों और अपशिष्टों की रिसाइक्लिंग का प्रतिशत क्या है (अलग से <5%, 5-10%, >10% के रूप में). साथ ही लगभग 50 शब्दों में उनके ब्योरे प्रदान करें</p>	<p>लागू नहीं</p>

3 सिद्धान्त 3: कारोबार को अपने सभी कर्मचारियों की सुख-सुविधा को बढ़ावा देना चाहिए

<p>1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं.</p>	<p>17,570</p> <p>(इसमें बैंक में संविदात्मक रोजगार के आधार पर अधिकारी संवर्ग में छह कर्मचारी और संविदा आधार पर 631 एक्जीक्यूटिव शामिल हैं)</p>
<p>2. कृपया अस्थायी/ संविदात्मक/ अनियत आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या बताएं.</p>	<p>637</p>
<p>3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं.</p>	<p>5,204</p>
<p>4. कृपया शारीरिक रूप से अशक्त स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं.</p>	<p>329</p>
<p>5. क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यताप्राप्त कोई कर्मचारी संघ है?</p>	<p>प्रथा के अनुसार, बैंक ने किसी भी यूनियन/ संघ को मान्यताप्राप्त यूनियन/ संघ का दर्जा नहीं दिया है.</p>
<p>6. आपके स्थायी कर्मचारियों में कितने प्रतिशत कर्मचारी इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?</p>	<p>यद्यपि किसी भी यूनियन/ संघ को मान्यताप्राप्त दर्जा नहीं दिया गया है, बैंक में परिचालनरत मुख्य यूनियनों/ संघों की संभावित सदस्यों की संख्या निम्नलिखित है :</p> <p>i. ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईआईडीबीआईओए) : 11,755 सदस्य (लगभग 75% अधिकारी)</p> <p>ii. ऑल इंडिया आईडीबी एम्प्लॉइज एसोसिएशन (एआईआईडीबीईए): 963 सदस्य (लगभग 49.5% कामगार कर्मचारी)</p> <p>iii. आईडीबीआई ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन (आईडीबीआईओओ) : लगभग 371 सदस्य (लगभग 2.5% अधिकारी)</p> <p>iv. आईडीबीआई कर्मचारी संघ (आईडीबीआईकेएस): लगभग 979 सदस्य (लगभग 50.5% कामगार कर्मचारी)</p>

7.	कृपया बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न के संबंध में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त और वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर लंबित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें.		
क्र. सं.	श्रेणी	2015-16 के दौरान दर्ज शिकायतें	यथा 2015-16 की समाप्ति पर लंबित शिकायतें
i.	बाल मजदूरी/ जबरन मजदूरी/ अनैच्छिक मजदूरी	शून्य	शून्य
ii.	यौन उत्पीड़न	2	1
iii.	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य
8.	उल्लिखित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष में सुरक्षा एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?		
i.	स्थायी कर्मचारी	66%	
ii.	स्थायी महिला कर्मचारी	58%	
iii.	कैजुअल/ अस्थायी/ संविदा कर्मचारी	21%	
iv.	शारीरिक रूप से अशक्त कर्मचारी	61%	

4. सिद्धान्त 4: कारोबार को सभी अंशधारकों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए, विशेष रूप से उनके लिए जो सुविधाहीन, कमजोर तथा हाशिए पर हैं.

1.	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य अंशधारकों को मैप किया है? हाँ/नहीं.	हाँ.
2.	उपर्युक्त में से कंपनी ने सुविधाहीन, कमजोर और हाशिए पर अंशधारकों की पहचान की है?	हाँ.
3.	क्या कंपनी ने सुविधाहीन, कमजोर और हाशिए पर अंशधारकों से संबद्ध कोई विशेष पहल की है. यदि हाँ, तो उनके बारे में करीब 50 शब्दों में ब्योरा दें.	बैंक ने अजा/ अजजा/ पीडबल्यूडी और अपिव के लिए महाप्रबंधक तथा उप महाप्रबंधक पद के अधिकारियों को मुख्य संपर्क अधिकारी (सीएलओ) और अंचल संपर्क अधिकारी (जेडएलओ) के रूप में नियुक्त किया है जो आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुपालन तथा उनकी शिकायतों का प्रभावी रूप से निवारण सुनिश्चित करते हैं. आपका बैंक भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पीडबल्यूडी के लिए अलग से रोस्टर रखता है.

5. सिद्धान्त 5: कारोबार को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

1.	क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ कांट्रैक्टरों/ एनजीओ/ अन्य पर भी लागू होती है?	मानवाधिकारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षित करने वाली बैंक की विभिन्न नीतियां बैंक के परिचालन पर लागू होती हैं तथा सहायक संस्थाओं, आपूर्तिकर्ताओं, कांट्रैक्टरों, एनजीओ आदि पर लागू नहीं होती है. बैंक मानवाधिकारों पर लागू सभी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच): बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम नीति अपनाई है. बैंक ने यौन उत्पीड़न के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के निपटान के लिए दो आंतरिक शिकायत समितियां बनाई हैं. कर्मचारियों में पीओएसएच के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से परस्पर संवादवाला ऑडियो/ वीडियो ई-लर्निंग मॉड्यूल बैंक के इंटरनेट पर रखा है. बैंक अपने ग्राहकों के अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है तथा उनका सम्मान करता है.
----	---	--

		<p>शिकायतों का निवारण</p> <p>बैंक यह स्वीकार करता है कि ग्राहक बैंक के मुख्य घटक हैं और उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए. इसके लिए बैंक ने "ग्राहक अधिकार नीति" तैयार की है साथ ही नागरिक चार्टर भी तैयार किया है. इसके अतिरिक्त, बैंक बीसीएसबीआई का सदस्य है और इसने ग्राहकों के प्रति बैंक के प्रतिबद्धता कोड और साथ ही सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बैंक के प्रतिबद्धता कोड को अपनाया है.</p>
<p>2.</p>	<p>पिछले वित्तीय वर्ष में कितने अंशधारकों की शिकायतें प्राप्त हुईं तथा प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से निवारण का प्रतिशत क्या है?</p>	<p>2015-16 के दौरान दो यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से एक शिकायत का संतोषजनक रूप से निवारण किया गया.</p>
<p>6. सिद्धान्त 6: कारोबार को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए तथा इसमें सुधार का प्रयास करना चाहिए</p>		
<p>1.</p>	<p>क्या सिद्धान्त 6 से संबंधित कंपनी की नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ कांट्रेक्टरों/ एनजीओ/ अन्य पर भी लागू होती है?</p>	<p>यह नीति केवल आईडीबीआई बैंक पर लागू होती है. बैंक ई-अपशिष्ट प्रबंधन, कागजरहित इको-फ्रेंडली तकनीक के प्रयोग, सर्वर वर्चुअलाइजेशन आदि जैसे उपायों को लागू कर पर्यावरण का ध्यान रखता है, इसकी रक्षा करता है और इसमें सुधार के प्रयास करता है. साथ ही, बैंक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई-अपशिष्ट (प्रबंधन तथा निपटान) नियमावली, 2011, जो 1 मई 2012 से प्रभावी है, का अनुसरण कर रहा है.</p>
<p>2.</p>	<p>क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए रणनीतियां/ पहल-कार्य हैं? हाँ/ नहीं. यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि का हाइपरलिंक बताएं.</p>	<p>हाँ. आईडीबीआई बैंक ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के अपने प्रयासों के अंतर्गत सोलर पॉवर लाइट तथा रोड लाइट लगाने में संगठनों की सहायता की है. साथ ही, आईडीबीआई बैंक ने भारत के चयनित राज्यों के सुदूरवर्ती गांवों के परिवारों में सौर शक्ति चलित विभिन्न सामान प्रदान कर स्वच्छ ऊर्जा विकल्प प्रदान करने में प्रमुख संगठनों के साथ भागीदारी की है, ताकि वे अनवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों पर अपनी निर्भरता कम कर सकें.</p> <p>नई और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण : ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण बढ़ती चिंता और जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों के कारण अन्य पर्यावरण संबंधी खतरों के संबंध में बढ़ती चिंता को देखते हुए अब नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कर बिजली उत्पादन पर ध्यान दिया गया है जो पर्यावरण अनुकूल होने के साथ-साथ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है. इस बदलाव के अनुसार, आईडीबीआई बैंक पवन, सौर, लघु जल विद्युत आदि जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है. नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15-17 फरवरी 2015 के दौरान आयोजित प्रथम नवीकरणीय ऊर्जा विश्व सम्मेलन में आईडीबीआई बैंक ने वर्ष 2015-19 की 5 वर्षीय अवधि के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 3000 मेगावाट क्षमता संवर्धन के लिए ₹ 14,700 करोड़ सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है.</p>

		<p>स्वच्छ ऊर्जा: बैंक ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, अर्थात् नवीकरणीय, सोलर सेल/ मॉड्यूल परियोजनाओं, सह-उत्पादन, ऊर्जा दक्षता उपकरण परियोजनाओं आदि पर आधारित संभाव्य ग्रीन परियोजनाओं के निधीयन के लिए पहल की है। भारत सरकार और यूएसएआईडी, विश्व बैंक आदि जैसी विविध बहुपक्षीय एजेंसियों के सहयोग से आईडीबीआई बैंक बहुपक्षीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मंजूर निधियों का संवितरण करता रहा है। अब तक बैंक ऐसी 10 से भी अधिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बद्ध रहा है। वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से इंडिया चिलर एनर्जी इफिशिएन्सी प्रोजेक्ट (आईसीईईपी) को पूरा किया। साथ ही, आईडीबीआई बैंक ने अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए ऊर्जा बचत वाली लाइटिंग और दक्ष वातानुकूलन प्रणाली, सोलर वाटर हीटर लगाने, जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण, वृक्षारोपण आदि जैसे बहुत से पहल कार्यों की शुरुआत की है।</p>
3.	<p>क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिम की पहचान तथा आकलन करती है? हाँ/ नहीं.</p>	<p>हाँ.</p> <p>पर्यावरणीय जोखिम आकलन बैंक की ऋण मूल्यांकन प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है। मौजूदा जोखिम निगरानी नीति मंजूरी पत्र में उपयुक्त शर्तों का निर्धारण कर व्यापक रूप से यह सुनिश्चित करती है कि सभी सहायता प्राप्त ग्राहक स्थायी आधार पर पर्यावरण संबंधी सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विनियामकीय दिशानिर्देशों का अनुपालन करें.</p>
4.	<p>क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है, तो इसका लगभग 50 शब्दों में विवरण दें. क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है?</p>	<p>आईडीबीआई बैंक सरकारी क्षेत्र का पहला ऐसा बैंक है जिसने स्वच्छता विकास तंत्र (सीडीएम) पर कार्य करने के लिए एक विशेष कक्ष स्थापित किया है। बैंक की कार्बन क्रेडिट सेवाओं में मूल्यांकन के लिए तकनीकी सलाहकारी सेवाएं, निधीयन, सीडीएम परियोजनाओं के पंजीकरण, कार्बन क्रेडिट की बिक्री के लिए वाणिज्यिक सलाहकारी सेवाएं आदि शामिल हैं। बैंक ने अनुमानित कार्बन क्रेडिट प्राप्य राशियों को ध्यान में रखकर कॉरपोरेटों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक नवोन्मेषी उत्पाद 'कार्बन क्रेडिट प्राप्य राशियों पर प्रारंभिक वित्त' शुरू किया है.</p>
5.	<p>क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है? हाँ/नहीं. यदि हाँ, कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक बताएं.</p>	<p>i. बैंक अव्यवहार्य आईटी उपकरणों के निपटान के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित पर्यावरण संबंधी जोखिम का मूल्यांकन करता है तथा इसलिए बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नीति तैयार तथा लागू की है। साथ ही, बैंक ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार अप्रचलित आईटी उपकरणों के सुरक्षित निपटान हेतु वेडरों की नियुक्ति की है.</p> <p>ii. बैंक द्वारा अपनी कई कारोबार प्रक्रियाओं को स्वचालित किया गया है जिसमें कागजों का उपयोग कम करने के लिए कागज रहित बैठकों का आयोजन आदि सम्मिलित है.</p> <p>iii. जहां कहीं भी संभव है, बैंक आंतरिक संप्रेषण (अनुमोदन, परिपत्र आदि) के लिए तथा बाहरी संप्रेषण के लिए ग्राहकों (खातों के मासिक विवरण, विभिन्न आवेदन-फॉर्म, निधि अंतरण सुविधा आदि), शेयरधारकों (वार्षिक रिपोर्ट), कारोबार भागीदारों, विनियामकों तथा सरकार आदि के साथ सम्प्रेषण में पेपर आधारित मीडिया के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग कर रहा है.</p>

		<p>iv. बैंक ने अपनी सभी शाखाओं/कार्यालयों को निदेश दिये हैं कि कागजों की खपत को बचाने के लिए वे उधारकर्ताओं/ वेंडरों आदि को भुगतान / ऋणों का संवितरण खातों में जमा/ आरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से करें.</p> <p>v. बैंक ने कागजों की खपत कम करने के लिए कर्मचारियों से संबंधित लगभग सभी कार्यों जैसे वेतन, लाभ, दावों का भुगतान, उपस्थिति दर्ज करना, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन आदि को स्वचालित कर रखा है.</p> <p>vi. सर्वर वर्चुलाइजेशन: डेटा केन्द्रों में सर्वर फुटप्रिंट कम करने के लिए बैंक ने सर्वर वर्चुलाइजेशन तंत्र लागू किया है जिसके माध्यम से वर्चुलाइज्ड वातावरण में एप्लिकेशन को लाकर पर्याप्त रूप से वैयक्तिक बाह्य सर्वरों की संख्या में कमी की गई है. इसके परिणामस्वरूप विद्युत की खपत और ऊष्मा संचरण में कमी हुई है.</p>
6.	क्या रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा जनरेट उत्सर्जन/ अपशिष्ट सीपीसीबी/ एसपीसीबी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है?	सेवा क्षेत्र में होने के कारण बैंक के परिचालन में न्यूनतम उत्सर्जन/ अपशिष्ट जनरेट होता है.
7.	सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित (अर्थात् जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है) है.	विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से इस प्रकार का कोई कारण बताओ/ कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है.
7.	सिद्धांत 7: जनता और विनियामक नीति को प्रभावित करने वाले कारोबार जवाबदेही के साथ करने चाहिए	
1.	क्या आपकी कंपनी किसी कारोबार और वाणिज्य मंडल अथवा संस्थानों की सदस्य है? यदि हाँ, तो केवल मुख्य नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबार किया जाता है:	<p>हाँ.</p> <p>i. एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र की विकास वित्तीय संस्थाओं का संघ (एडफिएप)</p> <p>ii. भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)</p> <p>iii. भारतीय बैंक संघ (आईबीए)</p> <p>iv. भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)</p> <p>v. भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम)</p> <p>vi. राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)</p>
2.	क्या आपने उपर्युक्त संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक कल्याण में सुधार या प्रगति के लिए समर्थन/ उस हेतु प्रचार किया है? हाँ/नहीं; यदि हाँ, तो मुख्य क्षेत्रों का विस्तृत विवरण दें. (ड्रॉप बॉक्स: सरकार एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, भोजन सुरक्षा, स्थाई कारोबार सिद्धांत, अन्य)	प्रमुख भूमिका में होने के कारण बैंक हमेशा विनियामकों तथा नीति निर्माताओं के साथ बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों, वित्तीय समावेशन आदि के लिए जबाबदेही के साथ संबद्ध रहा है.
8	सिद्धांत 8: कारोबार को समावेशी वृद्धि और साम्यिक विकास में सहयोगी होना चाहिए	
1.	क्या सिद्धांत 8 के संबंध में नीति के अनुसार कंपनी के पास कोई निर्दिष्ट कार्यक्रम/ पहल-कार्य/ परियोजना है. यदि हाँ, तो उनके ब्योरे.	<p>भारत सरकार और रिजर्व बैंक के मिशन को ध्यान में रखते हुए बैंक ने देश की कम बैंकिंग/ बैंकिंग सुविधाओं से वंचित जनसंख्या के वित्तीय समावेशन के पथ पर बढ़ना आरंभ कर दिया है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित पहल-कार्य किए गए हैं:</p> <p>(i) कम लागत वाली लघु आकार की शाखाओं और आईसीटी समर्थित कारोबार प्रतिनिधि मॉडल, दोनों के माध्यम से लगभग 500 बैंक-रहित सब सविस परिया (एसएसए) (लगभग 1200 गांवों को मिलाकर) में आधारभूत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं. इसके अतिरिक्त, बैंक ने बैंक-रहित गांवों में 244 शाखाएं भी खोली हैं.</p> <p>(ii) देश भर में ₹ 541.35 करोड़ (₹ 2,450 औसत शेष) जमाराशि के साथ 22 लाख से अधिक बीएसबीडीए खाते खोले गए हैं. इसमें पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत खोले गए लगभग 10.7 लाख खाते (₹ 90 करोड़ जमाराशि) शामिल हैं</p> <p>(iii) बैंक ने लगभग 25,000 पेंशनभोगियों को आईसीटी आधारित बीसी मॉडल के माध्यम से उनके घर तक वृद्धावस्था पेंशन वितरण के लिए रायपुर नगर निगम, छत्तीसगढ़ के साथ गठजोड़ किया है.</p>

		<p>(iv) बैंक ने तीन जिलों में बीसी मॉडल के माध्यम से मनरेगा मजदूरी के वितरण के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार के साथ गठजोड़ किया है. इसके लगभग 26 हजार लाभार्थी हैं.</p> <p>(v) वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन का एक अभिन्न भाग है. बैंक की ग्रामीण शाखाएं अपने सेवा क्षेत्र में प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बाह्य वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन करती हैं. 2015-16 के दौरान, लगभग 850 कैंपों का आयोजन किया गया जिनमें लगभग 18,000 ग्रामीणों ने भाग लिया. बैंक वित्तीय उत्पादों के बारे में मनोरंजन के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन करता है. आज तक ऐसे लगभग 250 से अधिक नाटकों का आयोजन किया जा चुका है. इसके अलावा, बैंक ने प्रायोगिक आधार पर महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्यों में 115 स्कूलों में वित्तीय साक्षरता कैंपों का भी आयोजन किया. लगभग 8 हजार विद्यार्थियों को मूल वित्त/ बैंकिंग संबंधी विषयों पर शिक्षित किया गया.</p> <p>(vi) लगभग 30 लाख खाते आधार से जोड़े गए हैं जो सब्सिडी वितरण और लाभ को आधार के माध्यम से सीधे बैंक खातों में जमा कर, लीकेज और छुटपुट चोरी को बंद कर सरकार के संकल्प को पूरा करने हेतु मार्ग प्रशस्त करते हैं.</p> <p>कई वित्तीय समावेशन पहल-कार्यों की शुरुआत करने के अतिरिक्त बैंक अपने सीएसआर पहल-कार्यों के माध्यम से बहुआयामी प्रभाव रखने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए अल्प सुविधाप्राप्त समुदायों के दीर्घकालिक और समग्र विकास के लिए भी अंशदान करता है.</p>
<p>2.</p>	<p>क्या कार्यक्रम/ परियोजनाएं आंतरिक टीम/ अपने फाउंडेशन/ बाहरी एनजीओ/ सरकारी संस्थाओं/ अन्य किसी संगठन के माध्यम से चलाए जाते हैं?</p>	<p>वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यक्रम आंतरिक टीम द्वारा बाहरी एजेंसियों के सहयोग से, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के प्रावधान और बीसी केंद्रों के कार्मिकों के लिए चलाए जाते हैं.</p> <p>समावेशी वृद्धि और साम्यिक विकास से संबंधित सीएसआर परियोजनाएं अधिकांशतः एनजीओ, सरकारी संस्थाओं तथा कुछ सीमा तक बैंक की शाखाओं के माध्यम से चलाई जाती हैं.</p>
<p>3.</p>	<p>क्या आपने अपने पहल-कार्यों के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है?</p>	<p>हाँ, कार्यान्वयन भागीदार द्वारा सीएसआर पहल-कार्यों के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है. इसके अतिरिक्त, बैंक की वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत:</p> <ul style="list-style-type: none"> • पीएमजेडीवाई के अंतर्गत ₹ 90 करोड़ जमा आधार के साथ 10 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं. • 22 लाख खाते बेसिक बचत खाते अर्थात् बैंक के वित्तीय समावेशन पहल-कार्य के अंतर्गत शून्य शेष के साथ खुले खाते हैं जो ₹ 541.35 करोड़ की जमाराशि के साथ हैं. • लोगों द्वारा इन खातों का उपयोग भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात्, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई), और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में शामिल होने के लिए भी किया गया है. • बैंक और सरकार को सूक्ष्म बीमा योजनाओं और पेंशन योजनाओं द्वारा वंचित लोगों को वित्तीय मुख्य धारा से विधिवत् रूप से जोड़ने में मदद मिली है.

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - भारतीय रुपये में राशि तथा आरंभ परियोजनाओं का विवरण?

प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से की जाने वाली आईडीबीआई बैंक की सामुदायिक विकास परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

क्र . सं.	गतिविधि/ संगठन का नाम	उद्देश्य	2015-16 में किया गया व्यय (₹ लाख)
i.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई, महाराष्ट्र (2012-13 में मंजूर)	लेह, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर में अन्य कार्यकलापों के साथ, सामुदायिक तंत्र को मजबूत करते हुए तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी तथा स्वामित्व मॉडल के आधार पर तारुगाँव को एक 'आदर्श ग्राम' के रूप में तैयार करना.	26.16
ii.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि (आरजीवीएन), गुवाहाटी, असम (2014-15 में मंजूर)	मोरीगाँव जिला, असम में आमकोटा गाँव का आदर्श ग्राम के रूप में विकास.	10.58
iii.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश (2014-15 में मंजूर)	दो गांवों में सीएसआर कार्यकलापों का संचालन - वाराणसी जिले में सुजाबाद तथा चंदौली जिले में भभौरा.	200.00

5. क्या आपने इन सामुदायिक विकास के पहल-कार्यों को समुदाय द्वारा सफलता पूर्वक अपनाना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं ? कृपया लगभग 50 शब्दों में उनके ब्योरे दें.

समुदाय के विकास को लक्ष्य कर सीएसआर गतिविधियों को सभी स्थानीय आबादी और जमीनी स्तर के लाभार्थियों सहित संबंधित अंशधारकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इस तरह समुदाय को शुरुआत में ही शामिल किया जाता है और परियोजना के सभी चरणों के दौरान इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ताकि समुदाय द्वारा इन पहल-कार्यों को सफलता पूर्वक अपनाया जा सके.

9 सिद्धान्त 9: कारोबार उत्तरदायी तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जुड़ा होना चाहिए और उन्हें महत्व देने वाला होना चाहिए.

1. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ग्राहक शिकायतें/ उपभोक्ता मामले कितने प्रतिशत लंबित हैं.

प्राप्त कुल शिकायतों में से यथा 31 मार्च 2016 को लगभग 2% अर्थात् 1,060 शिकायतें लंबित थीं. इनमें से 1,011 शिकायतों का निपटान '19 कार्यदिवसों में', 14 शिकायतों का निपटान '20-21' दिनों में और 35 शिकायतों का निपटान '21 कार्यदिवसों में' किया गया. सभी लंबित मामलों का निपटान 28 अप्रैल 2016 तक कर दिया गया.

2. सामान्यतः स्थानीय कानून के अधिदेश के अनुसार क्या कंपनी, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है. हाँ/ नहीं/ लागू नहीं/ टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)

लागू नहीं

3. क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/ या गैर-प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार के लिए अंशधारकों द्वारा कंपनी के विरुद्ध कोई मामला दायर किया गया है तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कोई लंबित है. यदि ऐसा है, तो लगभग 50 शब्दों में उनके ब्योरे दें.

शून्य

4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/ उपभोक्ता संतुष्टि रूझान के बारे में कुछ किया है?

बैंक सतत आधार पर ग्राहक फीडबैक प्राप्त करता है. इसके अलावा, बैंक उनकी जरूरतों, अपेक्षाओं तथा प्रत्याशाओं का मूल्यांकन तथा आकलन करने के लिए वार्षिक सर्वेक्षण भी करता है. वर्ष 2015-16 के दौरान एक ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया गया. सर्वेक्षण की प्रश्नावली में ग्राहक सेवा के विविध पहलुओं को शामिल किया गया था. सर्वेक्षण के परिणाम से यह पता चला कि ग्राहक सामान्य तौर पर बैंक के उत्पाद और सेवाओं से संतुष्ट थे.

Business Responsibility Report

Sr. No.	Particulars	Details	
A. General Information about the Bank			
1	Corporate Identity Number (CIN) of the Company	L65190MH2004GOI148838	
2	Name of the Company	IDBI Bank Limited	
3	Registered address	IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005	
4	Website	www.idbi.com	
5	E-mail id	idbiequity@idbi.co.in	
6	Financial Year reported	2015-16	
7	Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Code: 64191-IDBI Bank is a banking company governed by the Banking Regulation Act, 1949.	
8	List three key products/ services that the Company manufactures/ provides (as in balance sheet)	1. Corporate/ Wholesale Banking 2. Retail Banking 3. Treasury Services	
9	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company	1,846 branches	
i.	Number of International Locations (Provide details of major 5)	1- The Bank has a Branch at DIFC, Dubai	
ii.	Number of National Locations	1845 branches	
10	Markets served by the Company (Local/ State/ National/ International)	The Bank serves customers in national locations. Customers are also served through the Bank's international branch.	
B. Financial Details of the Bank			
1	Paid up Capital (in ₹ lakh)	2,05,881.51	
2	Total Turnover (in ₹ lakh)	31,45,345.87	
3	Total profit after taxes (in ₹ lakh)	-3,66,480.25	
4	Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	In 2015-16, IDBI Bank's spends on CSR activities amounted to 1.31% of its average net profits (excluding profits arising from branches outside India and any dividends received from other companies in India, which are covered under and complying with the provisions of section 135 of Companies Act, 2013) of the last three financial years ending March 31, 2013, March 31, 2014 and March 31, 2015.	
5	List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred:-		
Sr. No.	Activity	No. of CSR projects	Amount (₹ lakh)
a.	Health	6	360.16
b.	Rural Development	3	236.74
c.	Education	4	27.49
d.	Socio- Economic Empowerment	2	7.18
e.	Environment	3	187.88
f.	Other Donations	2	125.00
TOTAL		20	944.45

In consonance with the broad guidelines outlined in the Companies Act, 2013, IDBI Bank has been undertaking most of its CSR activities in project/ programme mode. With phased implementation of programmes the actual spend spills over to subsequent years in some cases. Further, in some CSR projects, some of the expected disbursements could not be released in 2015-16 on account of various factors such as (i) Government funding for the project, (ii) delay in implementation of the project (iii) delay in submission of documents, and (iv) completion of project at an amount lower than the sanctioned amount. Additionally, two projects sanctioned in March 2016 could not be disbursed during the reporting year.

In view of the reasons stated above, the Bank has been able to spend ₹ 9.44 crore which accounts for around 65.51% of the budgeted spend of ₹ 14.41 crore.

Segment-wise classification of expenditure incurred under CSR during 2015-16:

i. Health

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (₹ lakh)
1	Sankara Nethralaya, Chennai, Tamil Nadu	Conducting cataract surgeries of the poor in Chennai, Tamil Nadu.	3.13
2	UNICEF, New Delhi	Providing Water, Sanitation and Hygiene (WaSH) facilities in selected 400 rural schools of Maharashtra and Uttar Pradesh.	130.68
3	Swachh Bharat Swachh Vidyalaya Abhiyan and Swachh Bharat Kosh (SBK)	Construction of gender segregated toilets in rural schools near IDBI Bank's branches across India and contribution to SBK.	171.44
4	National Health Mission, Mumbai, Maharashtra	Provision of nutritional support to drug resistant TB patients in Mumbai, Maharashtra.	47.16
5	Grameen Sneh Foundation, Patna, Bihar	Purchase of an ambulance van in Patna, Bihar.	4.35
6	Government Medical College & Hospital, Aurangabad, Maharashtra	Purchase of a van for multipurpose use in Aurangabad, Maharashtra.	3.40
Total			360.16

ii. Rural Development

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (₹ lakh)
1	Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, Maharashtra	Building Taru village as a 'Model Village' based on community participation and ownership model, through strengthening of community mechanisms and capacity building, among other initiatives in Leh, Ladakh, Jammu and Kashmir.	26.16
2	Rashtriya Gramin Vikas Nidhi (RGVN), Guwahati, Assam	Developing of Aamkota village into a Model Village in Morigaon District, Assam.	10.58
3	Central Public Works Department, Varanasi, Uttar Pradesh	Conducting CSR activities in two villages - Suzabad in Varanasi District and Bhabhaura in Chandauli District.	200.00
Total			236.74

iii. Education

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (₹ lakh)
1	AIM for Seva, Chennai, Tamil Nadu	Supporting a students' home to cover expenses of food, accommodation, clothes, books etc. in Lucknow, Uttar Pradesh.	3.15
2	Sai Anandam Trust, Bhubaneswar, Odisha	Construction of a rural youth training centre, Daruthenga, Odisha.	6.88
3	Urivi Vikram Charitable Trust, Mumbai, Maharashtra	Imparting livelihood and vocational skills training in and around Thane, Kalyan and Bhiwandi, Maharashtra.	7.50
4	Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad, Gujarat	Conducting skill development programmes in four villages of Karnali panchayat under the Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY), Vadodra, Gujarat.	9.95
Total			27.48

iv. Socio-Economic Empowerment

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (₹ lakh)
1	North Eastern Development Finance Corporation, Guwahati, Assam	Setting-up one showroom for marketing of designer candles and other local handicrafts in Namchi, Sikkim and supporting its operational cost for an initial period.	4.80
2	National Association of Disabled's Enterprises, Mumbai, Maharashtra	Meeting the capital expenses, for their "Paper Envelope Making Project" aimed at creating sustainable employment opportunities for disabled persons.	2.38
Total			7.18

v. Environment

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (₹ lakh)
1	Centre of Excellence for Change, Chennai, Tamil Nadu	Implementation of climate smart water management project in selected villages of Kancheepuram district, Tamil Nadu.	7.13
2	International Academy of Environmental Health & Public Sanitation, New Delhi	Supporting a rainwater harvesting project at Isabella Thoburn College, Lucknow, Uttar Pradesh.	3.85
3	The Energy and Resources Institute (TERI), New Delhi	Supporting TERI's 'Lighting a Billion Lives' program wherein 5000 households in select villages across four states are provided with solar lighting systems.	176.91
Total			187.89

vi. Others

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (₹ lakh)
1	Armed Forces Flag Day Fund	Contribution to the Armed Forces Flag Day Fund, constituted by Government of India, for the welfare and rehabilitation of ex-servicemen, war widows and their dependants.	25.00
2	Chief Minister's Public Relief Fund (CMPRF), Tamil Nadu	Contribution to CMPRF, Tamil Nadu in light of devastating floods in the state.	100.00
Total			125.00

C. Other Details

1	Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	Yes. The Bank has five domestic subsidiaries namely, IDBI Capital Market Services Ltd., IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Company Ltd, IDBI Intech Ltd. and IDBI Trusteeship Services Ltd.
2	Do the Subsidiary Company/ Companies participate in the BR initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s).	No
3	Do any other entity/ entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%].	No

D. BR Information

1 Details of Director/ Director's responsible for BR

a. Details of the Director/ Director's responsible for implementation of the BR policy/ policies	
DIN Number	NA
Name	Shri Viney Kumar
Designation	Executive Director
b. Details of BR Head	
DIN Number	NA
Name	Smt. Ranjana Paranjape
Designation	Chief General Manager, Corporate Strategy & Communications Dept.
Tel. No.	022- 66552249
Email ID	rv.paranjape@idbi.co.in

2 Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/ policies (Reply in Y/N)

Sr. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.	Do you have a policy/ policies for....	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y
3.	Does the policy conform to any national/ international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
4.	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/ owner/ CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
5.	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y*	Y#
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y

Sr. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
9.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y
10.	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	The Head of Departments are responsible for effective implementation of the policies. The Compliance Department monitors the adherence to implementation of policies mandated by the RBI.								

Note:

* Link to CSR Policy - <http://www.idbi.com/CSR-Policy.asp>

The policies of the Bank viz. Customer Rights Policy, Grievance Redressal Policy, Citizens Charter and the BCSBI codes are available for public viewing under Customer Education through this link: <http://www.idbi.com/customer-care-centre.asp>

Principle 1 – The Bank mainly follows the CVC guidelines as contained in the Vigilance Manual issued by the Central Vigilance Commission.

Principle 2 – Most of the activities under Principle 2 are governed by the Bank's Credit Policy and product guidelines which are confidential.

The various policies of the Bank, which are formally put in place, govern different functions of the Bank directly and indirectly. They are in conformity with guidelines issued by regulatory and statutory bodies.

2a. If answer to Sr. No. 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

(Reasons for not having policy for any of the principle(s) needs to be mentioned)

1.	The company has not understood the Principles	Reason for not having a policy for P7:
2.	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles	The Bank does not have a documented policy for P7, however, it has always been associated with the regulators and policymakers in a responsible manner. The Bank has been a pioneer in the area of development financing and has taken a lead role in setting up the financial architecture of India. Besides, the Bank has been associated with the policymakers for improvement in the areas of banking sector reforms, financial inclusion etc.
3.	The company does not have financial or manpower resources available for the task	
4.	It is planned to be done within next 6 months	
5.	It is planned to be done within the next 1 year	
6.	Any other reason (please specify)	

3 Governance related to BR

Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year	The BR performance of the Bank will be submitted on an annual basis to the Board.
Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	Yes. The BR Report can be viewed at www.idbi.com . This report will be published annually and will be a part of the Bank's Annual Report.

E. Principle-wise performance

1 Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability	
<p>1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No.</p>	<p>Yes, it covers the Bank only.</p> <p>The Bank has effective mechanism in place to check corruption, malpractices, embezzlements and misappropriation of funds. The Bank has framed the internal guidelines and procedures to deal with Vigilance matters in conformity with Central Vigilance Commission (CVC) guidelines. All the latest circulars/guidelines pertaining to vigilance matters in general or specific to Banks issued by CVC are hosted on the Bank's Intranet for benefit of all employees. Further these guidelines have been compiled in the form of Vigilance Manual for the Bank which is updated annually.</p> <p>With a view to strengthen preventive vigilance in the Bank, the Annual Action Plan (AAP) for the Vigilance Department is prepared every financial year elaborating the gamut of activities to be undertaken focusing mainly on preventive vigilance. The gist of such measures is as under:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annual Returns of Assets and Liabilities (ARALs) filed by officers: <ol style="list-style-type: none"> a) Online submission of ARAL has been made mandatory. b) To undertake sample scrutiny of the ARALs submitted by Officers of the Bank which includes all officers coming under the CVC's jurisdiction i.e.; General Managers (Grade E) and above and 10% of the remaining ARALs. • Agreed List of Suspected Officers (ALSO): An agreed list of officers against whom there are complaints, doubts or suspicion related to their honesty or integrity is prepared annually in consultation with the CBI authorities. • List of Officers of Doubtful Integrity (LODI): As per CVC guidelines, list of officers of Doubtful integrity is prepared / reviewed annually. • Identification of Sensitive posts and Rotation of Staff: Identification of Sensitive posts is done annually and implementation of job rotation policy of officials in such posts is carried out in the Bank by obtaining monthly/ quarterly feedback from various verticals of the Bank in this regard. • Rotation of staff in sensitive positions in the Bank is monitored and information is submitted to the CVC in monthly/ quarterly reports: It is ensured by the HR Department that the officers appearing in ALSO/ LODI lists are not posted in sensitive assignments which are monitored by Vigilance Department.

- **Leveraging of Technology:**
As per CVC guidelines for improving Vigilance Administration by leveraging technology, all application forms/ proforma are made available on the Bank's website in downloadable formats. All documents needed to be enclosed and the information to be provided is clearly explained on the website and is also part of the application form. Standardized Public Grievance Redressal System (SPGRS) as advised by Ministry of Finance for uniform implementation in PSBs has been made active. Tenders/ Contracts awarded every month are displayed on the Bank's website. Improvement in FINACLE system to plug security loopholes is continuously effected. Fraud Monitoring System has been put in place as a tool to control/ prevent frauds.
- **CTE Type Inspections:**
Vigilance Department conducts studies and scrutiny of contracts awarded at random basis for streamlining/ strengthening the existing systems and procedures like vendor payments, award of tenders and contracts etc. The objective of such examination is not limited to the detection of malpractices and punishment of errant officials found guilty from Vigilance angle but to help bring improvement in the systems/ procedures in the Bank so as to avoid recurrence of lapses/ irregularities in the future contracts, apart from ensuring better technical and financial control. Scrutinise First Time Non Performing Asset (FTNPA), Quick Mortality (QM), One Time Settlement (OTS)/ Negotiated Settlements (NS) cases.
Surveillance and detection is one of the functions of Vigilance Department and therefore scrutiny of FTNPA, QM, OTS/ NS cases is undertaken on random basis. Such cases are scrutinized to ensure that discretionary powers are not exercised arbitrarily but in a fair and transparent manner and examination of the existing practices vis-à-vis systems and procedures in the Bank with a view to eliminate or minimise factors which provide opportunities for corruption or malpractices and to ascertain whether the Staff Accountability exists.
- **Surprise Vigilance Visits (SVVs):**
In order to bring awareness in the rank and file to curb occurrence of frauds/ misappropriations, SVVs of selected branches is undertaken by the Vigilance officers as envisaged in the annual action plan.

<p>Does it extend to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs / Others?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Preventive Vigilance Committees (PVC)/ Zonal Preventive Vigilance Committees (ZPVC): Vigilance Department of the Bank ensures that ZPVC meetings are being conducted at all nine zones of the Bank once in a quarter to meet and discuss issues/ matters relating to Vigilance. This envisages, apart from discussing the latest guidelines issued in areas with vigilance overtones, identification of weak spots/ areas in their branch/ processing centers which are vulnerable to frauds/ malpractices with a view to plug the loopholes, if any, and tighten monitoring of deficient areas. These meetings are attended by officials from Vigilance Department as nominee representatives. • Vigilance Awareness Workshops: Vigilance Awareness Workshops are conducted across the Bank which are attended by Chief Vigilance Officer (CVO) of the Bank. At these workshops, it is emphasised that Preventive Vigilance is a proactive function having a focus on preventing frauds, malpractices, misappropriations and corruption in the Bank in particular, as also to avoid the Bank from any Financial or Reputation Loss and strengthen the organisation in general. • Review of Vigilance activities in the Bank: <ul style="list-style-type: none"> - To monitor the overall progress in relation to all matters and to conduct Structured Meeting with MD & CEO on a quarterly basis and follow up the action points emerging at such structured meetings. - To submit a Memorandum to the Board of Directors on a quarterly basis on matters relating to Review of Vigilance activities in the Bank. • Prompt Punitive Action: The Chief Vigilance Officer (CVO) monitors for prompt punitive action by the Disciplinary Authorities against the delinquent officials. • Observance of Vigilance Awareness Week (VAW): VAW is observed annually as per CVC guidelines. Seminars, meetings, competitions etc. are being organised at the branches/ offices during the week to disseminate awareness against corruption amongst staff/ public/ customers. • Vigilance Complaints: The Chief Vigilance Officer ensures investigation of complaints having vigilance overtones and takes appropriate action wherever required. <p>No, it doesn't extend to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others.</p>
--	--

<p>2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.</p>	<p>During 2015-16, 49,444 customer complaints were received, of the same, about 98% i.e. 48,812 complaints were resolved by March 31, 2016. The average TAT of general banking complaints that were resolved by March 31, 2016 was approximately 2 working days. The Bank has put in place a Board approved Grievance Redressal Policy which has laid benchmark time limit of 19 days against 21 days permitted and which outlines the Bank's approach and commitment to complaint resolution.</p> <p>During 2015-16, 111 complaints were received by Vigilance Department. All these complaints were examined/ investigated for vigilance overtones through various authorities.</p> <p>The details of shareholders' complaints are as under:</p> <table border="1" data-bbox="815 721 1461 872"> <thead> <tr> <th>Pending as on 01.04.15</th> <th>Received during 2015-16</th> <th>Redressed during 2015-16</th> <th>Pending as on 31.03.16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1,212</td> <td>1,212</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Pending as on 01.04.15	Received during 2015-16	Redressed during 2015-16	Pending as on 31.03.16	0	1,212	1,212	0
Pending as on 01.04.15	Received during 2015-16	Redressed during 2015-16	Pending as on 31.03.16						
0	1,212	1,212	0						

2 Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

<p>1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/ or opportunities</p>	<p>i. Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA): The design and implementation of BSBDA (earlier known as No frills account) with requirement of zero balance, has to a large extent, addressed the social concern of financial exclusion of the hitherto unbanked and deprived class of people.</p> <p>ii. Micro Loan for Individuals/ Joint Lenders Group (JLG)/ Self Help Group (SHG) members: The Bank has reached out to underprivileged borrowers who may lack collateral security, regular employment and a demonstrable credit history. The Bank's micro credit thrust is designed not only to support entrepreneurship and alleviate poverty but also to empower women and to uplift communities, including Small and Marginal Farmers, Artisans, landless labourers etc. It aims to fulfil the funding needs for their occupation, education, health, other household expenses, repaying of high cost debt etc. Micro loans are also extended through Bank's appointed Business Correspondent (BC)/ Business Facilitators (BF). As on March 31, 2016 the Bank has appointed 66 corporate and 1884 individuals as BC/ BF. The Bank, in association with Bhartiya Micro Credit (BC of the Bank), organised an event in Varanasi on September 18, 2015 which was attended by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to distribute sanction letters and e-rickshaws to borrowers under this product. This has assured higher income to borrowers while safeguarding ecology and alleviating the physical hardship faced by erstwhile cycle rickshaw operators.</p>
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> iii. IDBI Surya Shakti: It aims to encourage utilisation of solar energy in households, farms and other establishments for electricity generation. The product is meant for extending financial assistance for purchase of solar water heater, solar lighting system and solar pumps to individuals, farmers, SHG, hotels and hospital in rural/ semi urban/ urban areas. The beneficiary may choose to install solar water heating systems (either a Flat Plate Collector (FPC) based or Evacuated Tubular Collector (ETC) based), solar lighting system of various photovoltaic modules and Solar Photo Voltaic Pumping system for 1800, 2200, 3000 and 5000 Watt peak DC surface system. This product provides electricity in areas with no power or areas facing power cuts. iv. IDBI RSETI: Rural Self-Employment Training Institute (RSETI) sponsored by IDBI Bank is located in Satara District of Maharashtra. The institute imparts training to unemployed youths from semi-urban and rural areas so that they can take up some vocation for self-employment. The institute gives special emphasis in training candidates of below poverty line and weaker section of the society. Since inception in 2011, the Institute has trained nearly 2,914 candidates out of which 793 are trained in 2015-16. These candidates are now in various stage of gainful engagement. The trained candidates comprise of 11% each in SC and ST category, 21% in OBC and 9% in minority category. The institute also helps its candidates for credit linkage from banks. v. Funding of “Green Projects” that includes sectors viz., renewable energies (wind, solar, biomass, hydropower, renewable energy distribution and management projects etc.), Energy Efficiency (energy storage units, energy efficiency technology and equipments etc.) and sustainable projects (water management, waste management, transportation projects, land use projects etc.). For this purpose, bank has launched Green Bonds in November 2015, for a tenor of 5 years under the US\$ 5 billion MTN Programme that is listed on the Singapore Stock Exchange for an amount of US\$ 350 million.
<p>2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year? 	<p>NA</p>

3.	Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? i. If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	NA
4.	Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	NA
5.	Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	NA

3 Principle 3: Businesses should promote the wellbeing of all employees

1.	Please indicate the total number of employees.	17,570 (Includes six number of employees on contractual employment with the Bank in the officers' cadre and 631 Executives on contract basis.)
2.	Please indicate the total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis.	637
3.	Please indicate the Number of permanent women employees	5,204
4.	Please indicate the Number of permanent employees with disabilities	329
5.	Do you have an employee association that is recognised by management?	As per practice, the Bank has not given recognised union status to any of the unions/ associations.
6.	What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?	Though recognised union status has not been given to any of the unions/ associations, the following is the tentative membership position of major unions/ association operating in the Bank: i. All India IDBI Officers' Association (AIIDBIOA): 11,755 members (about 75% of officers) ii. All India IDBI Employees' Association (AIIDBEA): 963 members (about 49.5% of workmen employees) iii. IDBI Officers' Organisation (IDBIOO): approximately 371 members (about 2.5% of officers) iv. IDBI Karmachari Sangh (IDBIKS): approximately 979 members (about 50.5% of workmen employees)
7.	Please indicate the number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.	

Sr. No.	Category	No of complaints filed during 2015-16	No of complaints pending as on end of 2015-16
i.	Child labour/ forced labour/ involuntary labour	Nil	Nil
ii.	Sexual harassment	2	1

iii.	Discriminatory employment	Nil	Nil
8.	What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?		
i.	Permanent Employees	66%	
ii.	Permanent Women Employees	58%	
iii.	Casual/ Temporary/ Contractual Employees	21%	
iv.	Employees with Disabilities	61%	

4	Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.		
1.	Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/ No		Yes
2.	Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalised stakeholders?		Yes
3.	Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalised stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	The Bank has appointed Chief Liaison Officers (CLOs) and Zonal Liaison Officers (ZLOs), in the rank of General Managers and Deputy General Managers, for SC/ ST/ PWD and OBC, who ensure compliance of various guidelines pertaining to reserved category employees and for effective redressal of their grievances. Your Bank maintains separate rosters for PWDs, as per the Government of India guidelines.	
5	Principle 5: Businesses should respect and promote human rights		
1.	Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?	<p>The Bank's various policies protecting the human rights, directly or indirectly, cover operations of the Bank and do not extend to its subsidiaries, suppliers, contractors, NGOs etc.</p> <p>The Bank follows all applicable guidelines on human rights.</p> <p>Prevention of Sexual Harassment at Workplace (POSH): The Bank has in place Prevention of Sexual Harassment at Workplace Guidelines in line with the requirements of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. The Bank has set up two Internal Complaints Committees, to redress the complaints received regarding sexual harassment. With an objective of creating awareness about the POSH among the employees, an interactive audio/ video enabled e-learning module has been hosted on the Bank's intranet.</p> <p>The Bank is fully aware of the rights of its customers and respects the same.</p>	

		<p>Redressal of Complaints</p> <p>The Bank acknowledges that the customer is the core constituent of the Bank and their rights should be protected. To this end, the Bank has formulated, a Customer Rights Policy and also has a Citizens Charter in place. Further, the Bank is a member of BCSBI and has adopted the Code of Bank's Commitment to Customers as well as the Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises.</p>
2.	How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	There were two complaints filed on Sexual Harassment during 2015-16, out of these one complaint was satisfactorily resolved.
6	Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment	
1.	Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.	<p>The Policy covers IDBI Bank only.</p> <p>The Bank respects, protects and makes efforts to restore the environment by implementing measures like E-Waste Management, use of paperless eco-friendly technology, virtualisation of servers, etc. The Bank is also following the E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, effective from May 01, 2012, issued by Ministry of Environment and Forests, New Delhi.</p>
2.	Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc.? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.	<p>Yes. IDBI Bank, in its endeavour to address environmental issues, assisted organisations in installation of solar powered lights and street lamps. IDBI Bank has also partnered with a leading organisation to provide clean energy options in the form of various solar powered articles to households in the remotest villages of selected states across India, thus reducing their dependency on non-renewable energy alternatives.</p> <p>Financing of New and Renewable energy projects: With the rising concerns regarding the greenhouse effect and other environmental hazards caused by the fossil fuel based power plants, focus has now moved towards generation of power using renewable resources, which are environment friendly as well as available in abundance. In line with this shift, IDBI Bank has been extending financial assistance for setting up renewable energy projects such as Wind, Solar, Small Hydro etc. At the 1st Renewable Energy Global Meet held on February 15-17, 2015 by the Ministry of New & Renewable Energy, Government of India, IDBI Bank has given commitment of assistance of ₹ 14,700 crore with capacity addition of 3,000 MW to Renewable Energy sector during the five year period 2015-19.</p>

		<p>Clean energy: The Bank has taken initiatives for funding potential green projects based on clean technologies viz., renewable, solar cell/ module projects, co-generation, energy efficiency equipment projects etc. In association with the Government of India and various multilateral agencies viz., USAID, World Bank etc. IDBI Bank has been channelising disbursement of grant funds for implementation of multilateral projects. So far, the Bank has been associated with implementation of over 10 such projects. During the year, IDBI Bank completed India Chiller Energy Efficiency Project (ICEEP) in association with the Government of India and World Bank. Also, IDBI Bank has initiated various steps for reduction of its carbon footprints like introduction of energy saving lighting and efficient air-conditioning system, installation of solar water heaters, water conservation and rain water harvesting, plantation etc.</p>
3.	Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N	Yes.
4.	Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?	<p>The Environmental Risk Assessment forms an integral part of Bank's Credit Appraisal system. Existing credit risk monitoring policy broadly ensures that all assisted clients are complying with the regulatory guidelines relating to sustainable environmental protection and pollution control by stipulating suitable conditions in the sanction letter.</p> <p>IDBI Bank was the 1st public sector bank to establish an exclusive cell working on Clean Development Mechanism (CDM). The Bank's carbon credit services included technical consultancy for assessment, funding, registration of CDM projects, commercial advisory for sale of carbon credits etc. Bank introduced an innovative product 'Upfront Finance against Carbon Credits Receivables' for extending financial assistance to corporates against projected carbon credit receivables.</p>
5.	Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc.? Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.	<p>i. The Bank assesses potential environmental risks that may arise on disposal of obsolete IT equipments and therefore the Bank has documented and implemented a Board approved E-Waste Management Policy and has appointed vendors for safe disposal of obsolete IT equipments as per the policies and procedures laid down by the Government of India.</p>
		<p>ii. The Bank has automated many of its business processes including conducting paperless meetings etc. to reduce usage of the papers.</p>
		<p>iii. Wherever feasible, the Bank is using electronic media in place of paper based media for communicating internally (approvals, circulars etc.), externally with the customers (monthly statement of accounts, various application forms, fund transfer facility etc.), shareholders (Annual Reports), business partners, regulators and Governments etc.</p>

		<p>iv. The Bank has directed all its branches/ offices to make payments to borrowers, vendors, etc./ disbursement of loans through credit to the account/ RTGS/ NEFT, to save paper consumption.</p> <p>v. The Bank has automated most of its staff related functions including payment of salary, benefits, claims, attendance marking, performance appraisal, etc. thereby reducing the paper consumption.</p> <p>vi. Server Virtualisation: To reduce the server footprints in the data centers, the Bank has implemented a Server Virtualisation mechanism through which number of individual physical servers has been reduced considerably by moving the applications in virtualised environment. This has resulted in less consumption of electric power supply and reduced heat transmission.</p>
6.	Are the Emissions/ Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/ SPCB for the financial year being reported?	Being in the service sector, the Bank's operations generate very minimal emissions/ waste.
7.	Number of show cause/ legal notices received from CPCB/ SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.	No such show cause/ legal notice from Central Pollution Control Board (CPCB)/ State Pollution Control Board (SPCB) have been received by the Bank during the financial year under review.
7	Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner	
1.	Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:	<p>Yes.</p> <p>i. Association of Development Financing Institutions in Asai and the Pacific (ADFIAP)</p> <p>ii. Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI)</p> <p>iii. Indian Banks Association (IBA)</p> <p>iv. The Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)</p> <p>v. Indian Institute of Bank Management (IIBM)</p> <p>vi. National Institute of Bank Management (NIBM)</p>
2.	Have you advocated/ lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/ No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)	The Bank being one of the key players has always been associated with the regulators and policymakers in a responsible manner for improvement in the areas of banking sector reforms, financial inclusion etc.
8	Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development	
1.	Does the company have specified programmes/ initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.	<p>Bank has embarked upon the path of financial inclusion of the underbanked/ unbanked population of the country in terms of the mission of the Government of India and the RBI. Towards this goal, the following initiatives have been taken:</p> <p>(i) About 500 unbanked Sub Service Areas (SSAs) (consisting of about 1200 villages) have been provided with basic banking services either through low-cost small format branches or through the ICT enabled Business Correspondent Model. Further, the Bank also opened 244 branches in unbanked villages.</p>

	<p>(ii) More than 22 lakh BSBDA's with deposit balance of ₹ 541.35 crore (Average balance of ₹ 2450 have been opened across the country. This includes about 10.7 lakh accounts (deposit balance of ₹ 90 crore) opened under the PMJDY scheme.</p> <p>(iii) Bank has tied up with Raipur Nagar Nigam (RNN), Chhattisgarh, for distribution of old age pension to about 25,000 pensioners through the ICT based BC model, at their door step.</p> <p>(iv) Bank has also tied up with Government of Chhattisgarh for distribution of MNREGA wages through the BC model in three districts. There are about 26 thousand beneficiaries.</p> <p>(v) Financial literacy is an integral part of financial inclusion. Bank's rural branches conduct outdoor financial literacy camps at least once a month in their services area. During 2015-16, about 850 camps have been held which were attended by about 18,000 villagers. Bank also conducts street plays in rural areas, educating the people about financial products, in the form of entertainment. More than 250 such plays have been conducted till date. Besides, the Bank also organised Financial Literacy camps in 115 schools across the states of Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh on pilot basis. About 8 thousand students were imparted education on basic finance/ banking related topics.</p> <p>(vi) About 30 lakh accounts are linked with Aadhaar, thus paving the way for Government's resolve to distribute subsidies and benefits directly into bank accounts through Aadhaar, to plug leakages and pilferages.</p> <p>Besides undertaking several financial inclusion initiatives, the Bank through its CSR initiatives also contributes towards sustainable and holistic development of the underserved communities through various programs having multi-dimensional impact.</p>
<p>2. Are the programmes/ projects undertaken through in-house team/ own foundation/ external NGOs/ Government structures/ any other organisation?</p>	<p>The programmes related to financial inclusion are undertaken by an in-house team with the help of external agencies, particularly for provision of technology and personnel manning the BC outlets.</p> <p>CSR projects related to inclusive growth and equitable development are largely undertaken through NGOs, Government structures and to a certain extent through Bank's branches.</p>

3.	Have you done any impact assessment of your initiative?	<p>Yes, impact assessment of CSR initiatives is carried out by the implementing partner. Besides, under the financial inclusion plan of the Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> • More than 10 lakh accounts under PMJDY have been opened with a deposit base of ₹ 90 crore. • 22 lakh accounts are basic SB accounts, i.e., accounts opened with zero balance under financial inclusion initiatives of the Bank with a deposit balance of ₹ 541.35 crore. • These accounts have also been utilised by the people to participate in the social security schemes, viz., Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Atal Pension Yojana (APY), launched by the Government of India. • The micro insurance schemes and the pension scheme have helped the Bank and the Government in formally inducting the deprived people into the financial mainstream.
----	---	---

4. What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken?

A table delineating the community development projects of IDBI Bank, undertaken in collaboration with reputed organisations, is as follows:

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Expenditure (₹ lakh) incurred in 2015-16
i.	Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, Maharashtra (Sanctioned in 2012-13)	Building Taru village as a 'Model Village' based on community participation and ownership model, through strengthening of community mechanisms and capacity building, among other initiatives in Leh, Ladakh, Jammu and Kashmir.	26.16
ii.	Rashtriya Gramin Vikas Nidhi (RGVN), Guwahati, Assam (Sanctioned in 2014-15)	Developing of Aamkota village into a Model Village in Morigaon District, Assam	10.58
iii.	Central Public Works Department, Varanasi, Uttar Pradesh (Sanctioned in 2014-15)	Conducting CSR activities in two villages - Suzabad in Varanasi District and Bhabhaura in Chandauli District.	200.00

5.	Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	<p>CSR projects aimed at developing the community are designed in consultation with all relevant stakeholders, including the local populace and ground-level beneficiaries. As such, involvement of the community is ensured at the beginning and participation of community in all steps of implementation of the project ensures that the initiative is successfully adopted by the community.</p>
----	--	--

9 Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner		
1.	What percentage of customer complaints/ consumer cases are pending as on the end of financial year.	Out of the total complaints handled, about 2% i.e. 1,060 complaints were pending as on March 31, 2016. Out of these, 1,011 complaints were resolved 'within 19 working days,' 14 complaints were resolved 'within 20-21 days' and 35 complaints were resolved 'post 21 working days'. All pending cases were resolved by April 28, 2016.
2.	Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/ No/ N.A./ Remarks (additional information)	NA
3.	Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/ or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	Nil
4.	Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?	The Bank captures customer feedback on an on-going basis. Apart from this, the Bank also conducts an annual survey to assess and measure their needs, requirements and expectations. During 2015-16, an online customer satisfaction survey was conducted. The survey comprised of a questionnaire on various aspects of customer service. The survey results revealed that the customers were generally satisfied with the products and services of the Bank.